

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-598 / 07
संस्थापित दिनांक-01.12.2007
Filling no- 235103000162007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1-भरत पुत्र चन्द्र सिंह यादव उम्र 33 साल निवासी- ग्राम टोडा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी
2- गब्बर सिंह पुत्र चन्दन सिंह यादव उम्र 35 सालफरार

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 325/34, 506बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 04.11.2008 को 4 बजे बटेरया नाला आम रास्ते पर फरियादी इन्द्रपाल सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी इन्द्रपाल, बेबीराजा की मारपीट का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादीगण की स्वेच्छया मारपीट की उपहति कारित की एवं फरियादी इन्द्रपाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की सख्त वोथरे हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा फरियादी इन्द्रपाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में अवलोकनीय है कि आरोपी लक्ष्मण एवं सैंधपाल के विरुद्ध दिनांक 18.08.2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है तथा गब्बर की अनुपस्थिति के कारण उसे प्रकरण में फरार घोषित किया गया है और यह निर्णय आरोपी भरत के संबंध में पारित किया जा रहा है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी इन्द्रपाल ने उसके लडके बेबीराजा के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि गब्बर उसकी

ट्रेक्टर ट्रॉली से जंगल से लकड़ी लाया था जिसे रेंज वालो ने पकड़ लिया था। फरियादी इन्द्रपाल अपने ट्रेक्टर से प्राणपुर से अपने घर जा रहा था कि बटेरया नाला शंकरपुर पर गब्बर यादव, भरत यादव, लक्ष्मण यादव, सैधपाल यादव आए और उसके ट्रेक्टर को रोक लिया और मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर बोले की तूने हमारा ट्रेक्टर पकड़वाया है आज तुझे नहीं छोडेगे। चारो आरोपीगण ने उसकी लाठी, लुहांगी, लात घुसो से मारपीट की, उसका लडका बचाने लगा तो उसकी भी मारपीट की, घटना लगभग 4 बजे सुबह की है। उसके ट्रेक्टर ट्रॉली में बैठे गाँव के जितेन्द्र तथा आदिवासी ने बीच बचाव किया। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओ के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया ।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.11.2008 को 4 बजे बटेरया नाला आम रास्ते पर आपने फरियादी इन्द्रपाल सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल, बेबीराजा की मारपीट का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादीगण की स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की ?
3.	क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की सख्त वोथरे हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
4.	क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 4:-

06— विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 4 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने,

एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी इन्द्रपाल अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि आरोपीगण उसे मां बहन की गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि रिपोर्ट की तो मारकर फेंक देंगे, किन्तु उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह व्यक्त नहीं किया कि आरोपी द्वारा उसे मां बहन की कौन सी गालियां उच्चारित की थी और न ही इस बारे में कोई कथन दिये कि उक्त गालियों से उसे क्षोभ कारित हुआ हो और न ही साक्षी ने यह व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा उसे लोक स्थान पर गालियां दी गई थी। इसके अलावा इन्द्रपाल अ0सा01 का कहना है कि आरोपीगण द्वारा रिपोर्ट करने पर मारकर फेंकने की बात कही थी, किन्तु इन्द्रपाल अ0सा01 ने उसकी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से उसे भय व संत्रास कारित हुआ हो, इसके विपरीत घटना के पश्चात ही फरियादी इन्द्रपाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखाये जाने का तथ्य फरियादी को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास्त कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है।

07— उल्लेखनिय है कि भा0द0सा0 की धारा 503 में परिभाषित “आपराधिक अभित्रास” का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिससे धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध घटित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। **शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग-2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल अ0सा01 को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

09— विचारणीय प्रश्न क्र० 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। इन्द्रपाल अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना वाले दिन वह ट्रेक्टर लेकर प्राणपुर से भतीजा गाँव जा रहा था, और जब वह शंकरपुर लाल, जितेन्द्र के साथ पहुँचा तो आरोपीगण मिले और आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी जिससे उसके कमर में चोट आई। आरोपीगण द्वारा उसे लाठी, टायर, लीवर से मारपीट करना व्यक्त किया और उसके लडके बेबीराजा को मुँह तथा पैर, हाथ व कंधे में चोट आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके हाथ पैर कमर में चोट आई थी और उसका उपर का दांत गब्बर की लाठी से ठूसा लगने से टूट गया था और आरोपीगण ने उससे चीज वस्तुएं और 300 रुपये भी छीन लिये थे जिसके संबंध में उक्त साक्षी द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस ने घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— शिवमंगल सिंह सेंगर अ०सा०2 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि दिनांक 04.11.07 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को फरियादी इन्द्रपाल सिंह ने आरोपीगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506बी, 34 भा०द०वि० की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी और फरियादी इन्द्रपाल और आहत बेबीराजा को डॉक्टरी हेतु भेजा था जिसके मजरूह फार्म प्र.पी. 3 व 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा विजय बहादुर सिंह बुंदेला अ०सा०4 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया है कि दिनांक 22.11.07 को चौकी विक्रमपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसके द्वारा अ०क्र० 397/07 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी ने विवेचना के दौरान इन्द्रपाल की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया था और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे और आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.7 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और विवेचना के उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को सौंप दिया था।

11— प्रकरण में अवलोकनीय है कि प्रकरण वर्ष 2007 से लंबित है और अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये तथा प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी बेबीराजा, लालू एवं जितेन्द्र सिंह को अभियोजन न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने में असफल रहा एवं उक्त साक्षीगण के उनके दर्शाये पते पर न मिलने के कारण तथा तामीलकर्ता के कथन लिये जाने के पश्चात उक्त साक्षीगण को अदम पता घोषित किया गया तथा प्रकरण में आहत बेबीराजा की साक्ष्य न हो पाने की बजह से प्रकरण में बेबीराजा को आई हुई चोटों के संबंध में जो सर्वोत्तम साक्ष्य पेश की जा सकती थी वह नहीं की जा सकी है और उक्त सर्वोत्तम साक्ष्य का अभाव रहा है। अतः बेबीराजा के संबंध में किये गये अपराध के संबंध में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

12— फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी जिससे उसके हाथ पैर व कमर में चोट आई थी और उसके उपर का दांत टूट गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने रिपोर्ट प्र.पी०.१ में दांत टूटने वाली बात लेखबद्ध करा दी थी, किन्तु प्र.पी.१ की पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने से उसमें फरियादी इन्द्रपाल द्वारा दांत टूटने वाली बात का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०१ ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसके उपर का दांत टूटा था और बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसके नीचे के दांतों में चोट आई थी। डॉ. आर.पी.शर्मा अ०सा०३ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसके द्वारा इन्द्रपाल के मेडिकल परीक्षण में दाएं पैर की पिडली में नीलगू निशान जिसका आकार १/२ इंच गुणा १/४ इंच था तथा बांयी आंख के नीचे नीलगू निशान था एवं चोट नम्बर ३ बांयी तरफ नीचे की तरफ जबड़े पर इनसाइजर दांत उपर से आधा टूटा हुआ था, नीचे के जबड़े पर १६ दांत व उपर के जबड़े पर १४ दांत थे तथा मसूड़े कमजोर, पीछे के दांतों पर सडन उपस्थित थी, उक्त चोटों में चोट क्र० १ व २ साधारण तथा चोट नम्बर ३ गंभीर प्रकृति की होकर उक्त सभी चोटें कठोर एवं सख्त वस्तु से परीक्षण से २४ घंटे के अन्दर की थी। उक्त रिपोर्ट प्र.पी. ६ है जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

13— इस प्रकार फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०१ ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी गब्बर के द्वारा लाठी से ठूसा मारने पर उपर का दांत टूटना व्यक्त किया, किन्तु दांत टूटने के संबंध में साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा इन्द्रपाल अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण में उपर का दांत टूटने वाली बात व्यक्त की जबकि आहत का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर आर.पी.शर्मा अ०सा०३ ने उसके प्रतिपरीक्षण में नीचे की पंक्ति का दांत टूटा होना व्यक्त किया है एवं शिवमंगल सिंह सेंगर अ०सा०२ एफआईआर लेखक ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा ४ में व्यक्त किया कि उसने आहत इन्द्रपाल की उपर की पंक्ति का दांत टूटा नहीं देखा था तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा ३ में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यह बात सही है कि आहत इन्द्रपाल ने उसके दांत उखडने वाली बात उसे नहीं बताई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आहत इन्द्रपाल का यदि घटना के समय आरोपी गब्बर द्वारा लाठी से ठूसा मारने से दांत टूटा था तो उक्त बात साक्षी द्वारा उसकी पुलिस रिपोर्ट में लेखबद्ध क्यों नहीं कराई गई एवं स्वयं साक्षी इन्द्रपाल उसके कथनो में जिस दांत के टूटने का उल्लेख कर रहा है मेडिकल परीक्षण में उसके विपरीत डॉ.आर.पी.शर्मा द्वारा नीचे की पंक्ति के दांत टूटा होना बताया गया है जोकि आपस में एक दूसरे के विपरीत है। ऐसी स्थिति में घटना के समय आरोपी गब्बर द्वारा इन्द्रपाल का लाठी से दांत तोडने वाली बात प्रमाणित नहीं होती है। किन्तु आरोपीगण द्वारा इन्द्रपाल के साथ मारपीट की जाने के संबंध में फरियादी इन्द्रपाल के कथन सारतः अखण्डनीय रहे हैं और आहत को आई हुई उक्त चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है।

14— म0प्र0 शासन वि0 हमीम खांन 1999 (2)जे.एल.जे.पी-310 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि यदि आहत की साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता हो तब ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहति किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी इन्द्रपाल द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। जहां तक स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है कि इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण घटना कारित करते समय उनके द्वारा किये गये कृत्यों के प्रभाव को जानते थे। अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार अथवा गंभीर व अचानक प्रकोपन के कारण उपहति कारित किया जाना दर्शित नहीं है। उपरोक्तानुसार किये गये विचारणीय बिन्दुओं पर विश्लेषण के आधार पर आरोपीगण द्वारा आहत इन्द्रपाल अ0सा01 की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। किन्तु आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 325/34, 506 बी भा0द0वि0 के आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है, और प्रमाणित अपराध धारा 323/34 भा0द0वि0 में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15— आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के तथ्य पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा आहत इन्द्रपाल को स्वेच्छया उपहति कारित की है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना यह न्यायालय उपयुक्त नहीं पाता है।

16— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:—

17— बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री के.एन.भार्गव एवं अभियोजन को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उदारतापूर्वक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की, जबकि अभियोजन की ओर से शिक्षाप्रद दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की।

18— उभयपक्ष की उक्त प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन उपरांत आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-598/07

Filling no- 235103000162007

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
भरत	323 / 34	न्यायालय उठने तक का कारावास	500 / -	7 दिन

19— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

20— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

21— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0